पत्र सं०–6 एस०एस०(6)72/2026–4612/

# बिहार सरकार
## डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–21/08/2026.

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

**विषय :– सात निश्चय–3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में रुपये 6392.95 लाख (रुपये तिरसठ करोड़ बानवे लाख पंचानवे हजार) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड, पटना द्वारा राज्य में दुग्ध उत्पादन एवं पशु के उत्पादकता में वृद्धि हेतु ''नस्ल सुधार योजना'' की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त सात निश्चय–3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में रुपये 6392.95 लाख (रुपये तिरसठ करोड़ बानवे लाख पंचानवे हजार) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड, पटना द्वारा राज्य में दुग्ध उत्पादन एवं पशु के उत्पादकता में वृद्धि हेतु ''नस्ल सुधार योजना'' की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी–1, 2 एवं 3 के रूप में संलग्न है।

2. 20वीं पशुगणना के आधार पर राज्य में 131.35 लाख प्रजनन योग्य गाय एवं भैंस जाति के पशु है, जिनमें 24.98 लाख प्रजनन योग्य संकर नस्ल के गौ जाति समाहित है, जो राज्य के कुल प्रजनन योग्य पशुओं का कुल 19.10 प्रतिशत है। राज्य में 61.47 लाख प्रजनन योग्य देशी नस्ल के गाय हैं, जो कुल प्रजनन योग्य पशुओं का 46.79 प्रतिशत है। राज्य में 44.88 लाख प्रजनन योग्य भैंस जाति के पशु है, जो कुल प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या का 34.16 प्रतिशत है।

3. राज्य में पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि० पटना (कॉम्फेड) एवं बिहार पशुधन विकास अभिकरण पटना (बी०एल०डी०ए०) के द्वारा पशुपालकों के द्वार तक उच्च गुणवत्ता पूर्ण सीमेन एवं कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने वाले प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन की सहायता से नस्ल सुधार किया जा रहा है। जिसके तहत विगत वर्ष 2024–25 में लगभग 45.59 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में 49 लाख कृत्रिम गर्भाधान

गया है। जिसमें लगभग 13 लाख वत्स (बच्चे) प्राप्त होंगे, जिसमें लगभग 6.50 लाख मादा पशु प्राप्त होने की सम्भावना है।

4. वर्त्तमान में राज्य में नस्ल सुधार कार्यक्रम हेतु पूर्णियाँ सीमेन स्टेशन/अन्य राष्ट्रीय "ए" ग्रेड सीमेन स्टेशन के उन्नत नस्ल के फ्रोजेन सीमेन का प्रयोग किया जा रहा है। सामान्यतः इस माध्यम से नर एवं मादा वत्स प्राप्त होने की सम्भावना आधी–आधी होती है। बिहार राज्य में नस्ल सुधार से दूध के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए सेक्स सोर्टेड सीमेन का प्रयोग की आवश्यकता है। सेक्स सोर्टेड सीमेन के प्रयोग से मादा वत्स होने की सम्भावना 90 प्रतिशत तक होती है। इससे कृत्रिम गर्भाधान के पश्चात् अच्छी उत्पादकता वाले मादाओं की संख्या में वृद्धि वर्त्तमान व्यवस्था से लगभग 80 प्रतिशत तक ज्यादा होना सम्भावित है। इसके अतिरिक्त ETT के माध्यम से अच्छे नस्ल का भ्रूण प्रत्यारोपण कर त्वरित नस्ल सुधार किया जाएगा। जिससे राज्य में अच्छे नस्ल के मादा पशुओं में वृद्धि के साथ दुग्ध की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि होगी।

5. नस्ल सुधार योजना :–

(I) कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का प्रशिक्षण :–

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का प्रशिक्षण कराया जाना है। राज्य में 7854 कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन कार्यरत है तथा 2026–27 में कुल 2920 नये कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे हर पंचायत में एक कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन की सुविधा सुनिश्चित की जायेगी। कृत्रिम गर्भाधान में सफलता के प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से नये वैज्ञानिक तकनीक यथा– डिजीटल ए०आई० गन एवं बैट्री संचालित थॉविंग मशीन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसके आलोक में पूर्व में प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को इन नये उपकरणों के प्रयोग के सम्बन्ध में जानकारी देने हेतु रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा पूर्व प्रशिक्षित 7854 कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रखण्ड स्तर के पशु चिकित्सालय पर भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी/कॉम्फेड के माध्यम से दी जाएगी। रिफ्रेशर प्रशिक्षण के पश्चात् 4273 प्रशिक्षार्थियों को डिजीटल ए०आई० गन एवं बैट्री ऑपरेटेड थॉविंग मशीन उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।

(II) सेक्स सॉर्टेड सीमेन :–

(क) पशुपालक के द्वार पर उच्च गुणवत्तापूर्ण फ्रोजेन सीमेन स्ट्रॉ से पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कार्य के माध्यम से पशुओं का अनुवांशिक उत्थान करते हुए उच्च उत्पादन क्षमता वाले संतति की उत्पत्ति होगी।

(ख) प्रस्तावित योजना को मिशन मोड में सेक्स सॉर्टेड सीमेन तथा प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026–27 में

08 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। जिससे कुल 2.64 लाख वत्स उत्पन्न होंगे जिसमें 2.37 लाख तक मादा वत्स उत्पन्न होना सम्भावित है।

(ग) कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों द्वारा सेक्स सॉर्टेड सीमेन के उपयोग से कृत्रिम गर्भाधान करने के पश्चात् पशुपालक प्रति कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु रुपये 50/– की राशि कृत्रिम गर्भाधान तकनिशियनों को प्रदान करेंगे।

(घ) एक पशु में अधिकतम सेक्स सॉर्टेड सीमेन 03 बार किया जायगा, ऐसे पशुओं को पुनः चिकित्सा उपरांत कृत्रिम गर्भाधान किया जायेगा।

(ङ) इस कार्य हेतु सेक्स सॉर्टेड सीमेन की उपलब्धता पूर्णियाँ सीमेन स्टेशन से अथवा आवश्यकतानुसार अन्य सीमेन स्टेशनों से निविदा के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।

(III) आई०वी०एफ० (IVF- In Vitro Fertilization) :–

(क) आई०वी०एफ०/ई०टी०टी० एक उन्नत पशु प्रजनन तकनीक है, जिसके माध्यम से उच्च अनुवांशिक गुणवत्ता वाले पशुओं का तीव्र विस्तार किया जा सकता है। बिहार जैसे कृषि एवं पशुपालन प्रधान राज्य में इस तकनीक की व्यापक संभावनायें है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं से भ्रूण तैयार कर निम्न गुणवत्ता वाली मादा में प्रत्यारोपित कर वत्स प्राप्त किया जाता है, जिसके कारण उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं की कई संतति कम समय में प्राप्त की जाती है। सामान्यतः कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा लगभग 07 पीढ़ी के पश्चात् शुद्ध उच्च गुणवत्ता वाले पशु की प्राप्ति होती है, परन्तु आई०वी०एफ० के माध्यम से पहली संतति से ही उच्च गुणवत्ता वाले पशु की प्राप्ति होती है। अतः पीढ़ी अन्तराल को कम करने एवं त्वरित नस्ल सुधार हेतु यह एक प्रभावी तकनीक है।

(ख) यह पशुपालन में एक नयी तकनीक है अतः इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य में करने की योजना है। पहले वर्ष 1000 आई०वी०एफ० करने का लक्ष्य है। जिसमें 800 हेतु देश में उपलब्ध आई०वी०एफ० प्रदाता की सेवा ली जायेगी तथा 200 हेतु देश के बाहर उपलब्ध आई०वी०एफ० प्रदाता की सेवा ली जायेगी। योजना की सफलता के उपरान्त राज्य के अन्य हिस्सों में इसे विस्तारित किया जाएगा। इस कार्य हेतु विश्वव्यापी निविदा (Global Tender) के माध्यम से किया जाएगा।

6. नस्ल सुधार योजना का पर्यवेक्षण ऑनलाईन एप के माध्यम से किया जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का यह दायित्व होगा कि वे पशुओं में ईयर टैग, कृत्रिम गर्भाधान करने की तिथि, एप/भारत पशुधन एप पर अपलोड करेंगे।

7. योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों/आई०सी०टी० मेटेरियल (ऑडियो/वीडियो/पम्पलेट) के माध्यम से किया जायेगा, ताकि योजना की जानकारी लाभार्थियों तक उपलब्ध हो तथा ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी इसका लाभ उठा सके।

8. शिकायत निवारण :–

योजनान्तर्गत लिखित शिकायतों का निष्पादन निम्न अपीलीय प्राधिकार द्वारा किया जाएगा :–

| क्र० सं० | प्राधिकार का विवरण | पदाधिकारी का विवरण | कार्य दिवस |
|---|---|---|---|
| 1. | जिलास्तरीय प्रथम अपीलीय प्राधिकार | कमिटी के सदस्य<br>अध्यक्ष – जिला पशुपालन पदाधिकारी<br>सदस्य – जिला गव्य विकास पदाधिकारी | 15 दिवस |
| 2. | प्रमंडल स्तरीय द्वितीय अपीलीय प्राधिकार | कमिटी के सदस्य<br>अध्यक्ष – क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन<br>सदस्य – प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यपालक संबंधित दुग्ध संघ/इकाई | 15 दिवस |

9. नस्ल सुधार से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत कार्य सम्पन्न होने के 15 दिनों के अन्दर जिलास्तरीय प्रथम अपीलीय प्राधिकार के पास किया जा सकता है। जिलास्तरीय प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा शिकायत के निष्पादन किये जाने के पश्चात शिकायतकर्त्ता 10 दिनों के अन्दर प्रमण्डल स्तरीय द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के पास आवेदन कर सकेंगे।

10. योजना के क्रियान्वयन को सफल करने हेतु योजना में आंशिक संशोधन करने का अधिकार डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के पास निहित होगा।

11. नस्ल सुधार से अपेक्षित लाभ :–

(क) कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों का आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षणोपरान्त एवं आधुनिक उपकरणों के प्रयोग से गर्भाधान का सफलता दर में बढ़ोत्तरी होगी, परिणामस्वरूप कृत्रिम गर्भाधान कार्य के लागत में कमी आयेगी।

(ख) इन्टर काभिंग पीरियड में कमी आयेगी, परिणामस्वरूप दुग्ध उत्पादक को आर्थिक लाभ होगा।

(ग) योजनान्तर्गत तीन वर्षों में 8 लाख सेक्स सॉर्टेड सीमेन के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से लगभग 2.37 लाख उच्च गुणवत्ता वाले मादा पशु की उत्पत्ति होंगे। योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् 2.3 लाख उच्च गुणवत्ता वाले मादा पशु (उत्पादकता : 4,500 लीटर प्रति ब्यान) के माध्यम से लगभग 10.6 लाख मीट्रिक टन तक दूध का उत्पादन होगा। फलस्वरूप ग्रामीण

अर्थव्यवस्था में योजना के समाप्ति उपरान्त प्रतिवर्ष लगभग रुपये 426.6 करोड़ की वृद्धि होगी।

(घ) आई०वी०एफ० तकनीक के सफल प्रयोग उपरान्त उच्च गुणवत्ता वाले 1000 मादा पशुओं (उत्पादकता : 8,000 लीटर प्रति ब्यान) की प्राप्ति होगी, जिनसे लगभग 6400 मीट्रिक टन तक दूध की प्राप्ति होगी। फलस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योजना के प्रतिवर्ष लगभग रुपये 25.6 करोड़ की वृद्धि होगी।

12. इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में होने वाले व्यय का विकलन निम्नलिखित बजट शीर्ष से किया जायेगा :–

(i) मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 –डेरी विकास परियोजनाएँ, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0119 –आधुनिक तकनीकों से डेयरी का समग्र विकास, प्रसंस्करण एवं विपणन तंत्र सुदृढ़ीकरण सात निश्चय–3, विपत्र कोड 02–2404001020119, विषय शीर्ष–0119.31.06 –सहायक अनुदान गैर वेतन मद से व्यय की जायेगी।

(ii) मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0105 –आधुनिक तकनीकों से डेयरी का समग्र विकास, प्रसंस्करण एवं विपणन तंत्र सुदृढ़ीकरण सात निश्चय–3, विपत्र कोड 02–2404007890105, विषय शीर्ष–0105.31.06 –सहायक अनुदान गैर वेतन मद से व्यय की जायेगी।

(iii) मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0104 –आधुनिक तकनीकों से डेयरी का समग्र विकास, प्रसंस्करण एवं विपणन तंत्र सुदृढ़ीकरण सात निश्चय–3, विपत्र कोड 02–2404007960104, विषय शीर्ष–0104.31.06 –सहायक अनुदान गैर वेतन मद से व्यय की जायेगी।

13. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत कार्यकारी दिशा–निर्देश विभाग द्वारा समय–समय पर अलग से निर्गत किया जायेगा।

14. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना एवं प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगें।

15. इस योजना का क्रियान्वयन कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जायेगा।

16. इस योजना अंतर्गत कॉम्फेड, पटना को स्वीकृत राशि का भुगतान सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से निकासी कर निदेशक, गव्य द्वारा एकमुस्त

कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित किया जायेगा एवं स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से कॉम्फेड, पटना द्वारा व्यय किया जायेगा।

17. कॉम्फेड द्वारा इस योजना के तहत प्रस्तावित कार्यों का सम्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर कराया जायेगा।

18. इस योजना को ससमय पूर्ण करने की जवाबदेही कॉम्फेड, पटना की होगी तथा योजनाओं का अनुश्रवण सचिव डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना तथा बिहार विकास मिशन, पटना के द्वारा किया जाएगा।

19. इस योजना का क्रियान्वयन ससमय पूर्ण होने के पश्चात अठारह माह की अवधि के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी०टी०सी० प्रपत्र–42A में) एवं व्यय राशि के अभिलेख सहित कॉम्फेड, पटना द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

20. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

21. दिनांक–22.07.2026 को सम्पन्न लोक वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका–6 एस०एस०(6)72/2026 के पृष्ठ 13–12/प०.

22. दिनांक–19.08.2026 को मद संख्या–03 के रूप में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)72/2026 (पृष्ठ–14/टि०).

23. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)72/2026 के पृष्ठ–16/टि० तथा डायरी सं०–581, दिनांक–21.08.2026

24. वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

2/9

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)72 / 2026– 4612 / पटना–15, दिनांक–21 / 08 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा / बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)72 / 2026– 4612 / पटना–15, दिनांक–21 / 08 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)72 / 2026– 4612 / पटना–15, दिनांक–21 / 08 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना / निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)72 / 2026– 4612 / पटना–15, दिनांक–21 / 08 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा / योजना शाखा / लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)72 / 2026– 4612 / पटना–15, दिनांक–21 / 08 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक–19.08.2026 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–03 के रूप में दी गयी स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)72 / 2026– 4612 / पटना–15, दिनांक–21 / 08 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / योजना शाखा–06 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)72 / 2026– 4612 / पटना–15, दिनांक–21 / 06 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)72/2026–4612 /पटना–15, दिनांक–21/08/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8

सरकार के संयुक्त सचिव

## व्यय विवरणी–1

सात निश्चय–3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में रुपये 6392.95 लाख (रुपये तिरसठ करोड़ बानवे लाख पंचानवे हजार) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड, पटना द्वारा राज्य में दुग्ध उत्पादन एवं पशु के उत्पादकता में वृद्धि हेतु " नस्ल सुधार योजना " की स्वीकृति हेतु व्यय विवरणी।

विपत्र कोड 02–2404001020119, विषय शीर्ष–0119.31.06 –सहायक अनुदान गैर वेतन मद

(राशि लाख में)

| क्र० | विवरणी | वित्तीय वर्ष 2026–27 में योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि से व्यय की जाने वाली राशि। | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | कोषागार |
|---|---|---|---|---|
| I | **सेक्स सोर्टेड सीमेन** | | निदेशक, गव्य या इनके द्वारा प्राधिकृत / नामित पदाधिकारी | सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना |
| | (i) सेक्स सोर्टेड सीमेन की खरीद | 4800.00 | | |
| II | **आई०वी०एफ० / ई० टी० टी० (IVF- In Vitro Fertilization)** | | | |
| | (i) देश में उपलब्ध भ्रूण सेवा प्रदाता द्वारा सफल गर्भाधान | 120.91 | | |
| | **सकल योग :–** | **4920.91** | | |

4612
21/8/26

21/8

सरकार के संयुक्त सचिव

## व्यय विवरणी–2

सात निश्चय–3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में रुपये 6392.95 लाख (रुपये तिरसठ करोड़ बानवे लाख पंचानवे हजार) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड, पटना द्वारा राज्य में दुग्ध उत्पादन एवं पशु के उत्पादकता में वृद्धि हेतु " नस्ल सुधार योजना " की स्वीकृति हेतु व्यय विवरणी।

विपत्र कोड02–2404007890105, विषय शीर्ष–0105.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद

(राशि लाख में)

| क्र० | विवरणी | वित्तीय वर्ष 2026–27 में योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि से व्यय की जाने वाली राशि। | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | कोषागार |
|---|---|---|---|---|
| I | **कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का प्रशिक्षण** | | निदेशक, गव्य या इनके द्वारा प्राधिकृत/नामित पदाधिकारी | सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना |
| | (i) कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को डिजीटल ए.आई. गन, एवं थोविंग मशीन | 422.99 | | |
| II | **आई०वी०एफ०/ई० टी० टी० (IVF- In Vitro Fertilization)** | | | |
| | (i) देश में उपलब्ध भ्रूण सेवा प्रदाता द्वारा सफल गर्भाधान | 199.09 | | |
| | (ii) देश के बाहर उपलब्ध भ्रूण सेवा प्रदाता द्वारा सफल गर्भाधान | 600.00 | | |
| | **योग :–** | **799.09** | | |
| | **सकल योग :–** | **1222.08** | | |

4612
21/8/26

21/8

सरकार के संयुक्त सचिव

# व्यय विवरणी–3

सात निश्चय–3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में रुपये 6392.95 लाख (रुपये तिरसठ करोड़ बानवे लाख पंचानवे हजार) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड, पटना द्वारा राज्य में दुग्ध उत्पादन एवं पशु के उत्पादकता में वृद्धि हेतु " नस्ल सुधार योजना " की स्वीकृति हेतु व्यय विवरणी।

विपत्र कोड 02–2404007960104, विषय शीर्ष–0104.31.06 –सहायक अनुदान गैर वेतन मद

(राशि लाख में)

| क्र० | विवरणी | वित्तीय वर्ष 2026–27 में योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि से व्यय की जाने वाली राशि। | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | कोषागार |
|---|---|---|---|---|
| I | **कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का प्रशिक्षण** | | निदेशक (गव्य) या इनके द्वारा प्राधिकृत / नामित पदाधिकारी | सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना |
| | (i) कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को डिजीटल ए.आई. गन, एवं थोविंग मशीन | 217.96 | | |
| II | **योजना का पर्यवेक्षण** | | | |
| | (i) पर्यवेक्षण हेतु ईयर टैग की संख्या (वत्स उत्पन्न हेतु कृत्रिम गर्भाधान का 40% एवं मौजूदा पशुओं में ईयर टैग) | 32.00 | | |
| | **योग :–** | **249.96** | | |

4612
21/8/26

सरकार के ~~संयुक्त~~ सचिव
21/8